



आयुष्मान भारत "निरामयम्" मध्यप्रदेश

(दीन दयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद्)

जय प्रकाश अस्पताल, आई.ई.सी. ब्यूरो प्रथम तल भोपाल



क्रमांक/एसएचए/एबी/2025/6608

भोपाल, दिनांक -10/10/2025

// आदेश //

जैसा कि आयुष्मान भारत "निरामयम्" मध्यप्रदेश योजना के अन्तर्गत पात्र हितग्राहियों स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने हेतु निजी चिकित्सालयों को 03 वर्ष हेतु सम्बद्ध किया जाता है। 03 वर्ष उपरांत संबंधित चिकित्सालयों के नवीनीकरण के आवेदन को परीक्षण करते हुए चिकित्सालयों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर पुनः 03 वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जाता है। उपरोक्तानुसार राज्य स्वास्थ्य एजेंसी को निम्नलिखित चिकित्सालयों के अनुबंध अवधि समाप्ति के उपरांत नवीनीकरण हेतु आवेदन प्राप्त हुए।

और जैसा कि संबंधित चिकित्सालयों के आवेदनों का राज्य स्तरीय इम्पेनलमेन्ट कमेटी की बैठक दिनांक 09 अक्टूबर 2025 में परीक्षण किया गया। जिसमें निम्नलिखित चिकित्सालयों का प्रदर्शन समाधानकारक न होने के कारण शपथ पत्र के आधार पर शर्तों के अधीन MOU (अनुबंध) अवधि में 03 वर्ष हेतु नवीनीकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।

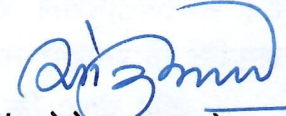
अतः राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के साथ MOU (अनुबंध) अवधि में MOU (अनुबंध) अवधि में 03 वर्ष हेतु नवीनीकरण किये जाने वाले सरल क्रमांक 01 से 08 तक कुल 08 निजी चिकित्सालयों की सूची निम्नानुसार है :-

S.n.	Hospital Id	Hospital Name	District	SEC Recommendation
1	HOSP23P143236	ANANAT HEART HOSPITAL	BHOPAL	Conditionally renewal on the basis of Affidavit
2	HOSP23P137217	SETHA MULTISPECIALITY HOSPITAL	HOSHANGABAD	Conditionally renewal on the basis of Affidavit
3	HOSP23P143949	SHRI RAM MULTI SPECIALITY HOSPITAL	VIDISHA	Conditionally renewal on the basis of Affidavit
4	HOSP23P139010	THAKUR HOSPITAL	GWALIOR	Conditionally renewal on the basis of Affidavit
5	HOSP23P143735	GOOD HOSPITAL	BURHANPUR	Conditionally renewal on the basis of Affidavit
6	HOSP23P82256	CHANDAK HOSPITAL	KATNI	Conditionally renewal on the basis of Affidavit
7	HOSP23P144421	DEV SUDHA SEVALAY	TIKAMGARH	Conditionally renewal on the basis of Affidavit
8	HOSP23P142911	YATHARTH SUPERSPECIALITY HOSPITAL	TIKAMGARH	Conditionally renewal on the basis of Affidavit

उपरोक्त नवीनीकरण किये जा रहे निजी चिकित्सालयों को अनुबंध पत्र (MoU) की प्रति उनके पंजीकृत ई-मेल आई.डी. पर भेजी जा रही है। (नवीन अनुबंध पत्र-2025 (MoU) आयुष्मान भारत "निरामयम्" की अधिकृत वेबसाइट पर भी उपलब्ध है)। संबंधित संस्था को आदेश जारी होने पश्चात 07 दिवस के भीतर अनुबंध की सॉफ्टकॉपी आयुष्मान भारत "निरामयम्" की अधिकारिक ई-मेल आई.डी. पर भेजना होगा एवं MoU की हार्डकॉपी रु. 500/- के स्टाम्प पेपर पर प्रत्येक पृष्ठ को नोटरीकृत कराकर कार्यालय, आयुष्मान भारत "निरामयम्" में दिनांक 17.10.2025 तक जमा करना सुनिश्चित करना होगा, ऐसा न कर पाने की स्थिति में उक्त चिकित्सालय की सम्बद्धता स्वतः ही समाप्त हो जायेगी। ई-मेल आई.डी. निम्नानुसार है :-

1. ceo.ayushman@mp.gov.in

(राज्य एम्पेनलमेंट कमेटी, आयुष्मान भारत "निरामयम्" म.प्र. द्वारा अनुमोदित)



(डॉ. योगेश भरसट)

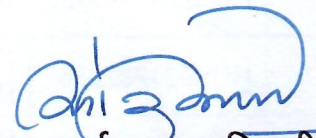
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
आयुष्मान भारत निरामयम् म.प्र.

पृ.क्रमांक / एसएचए / एबी / 2025 / 6609

भोपाल दिनांक- 10/10/2025

प्रतिलिपि:- (सूचनार्थ)

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग म.प्र. ।
2. आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
3. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
4. संबंधित कलेक्टर/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति म.प्र. ।
5. कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत "निरामयम्" म.प्र. ।
6. वित्त अधिकारी, आयुष्मान भारत "निरामयम्" म.प्र. ।
7. महाप्रबंधक (ऑपरेशंस), आयुष्मान भारत "निरामयम्" म.प्र. ।
8. महाप्रबंधक (विधि), आयुष्मान भारत "निरामयम्" म.प्र. ।
9. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र. ।
10. समस्त संभाग प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, आयुष्मान भारत "निरामयम्" म.प्र.
11. स्टेट हेड, सेफवे, पेरामाऊंट तथा टी.पी.ए.ए म.प्र. ।
12. समस्त संबंधित निजी चिकित्सालय ।
13. आदेश वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।



मुख्य कार्यपालन अधिकारी
आयुष्मान भारत निरामयम् म.प्र.